

संख्या- 1/स्था0 (1) 702/2017-178/


बिहार सरकार

31/5/18

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यरत में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 84 के तहत स्थायी पदस्थापन होने तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी कार्यालय की स्थापना मद से निकासी हेतु डॉ० सुनील कुमार सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, सीतामढ़ी को निकासी एवं व्ययन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।



31/5/18
(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017-178/

/ पटना-15,दिनांक- 31/5/18


प्रतिलिपि:- महालेखाकर (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदा०, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/5/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017-178/

/ पटना-15,दिनांक- 31/5/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदा०, सीतामढ़ी/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी/सभी संबंधित पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक, सीतामढ़ी/प्रशाखा पदा०, प्रशाखा- 2/5/विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/5/18
सरकार के अवर सचिव।